

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

- 16- परियोजना या स्कीम की अवस्थिति
- (i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उत्तराखण्ड
- (ii) जिला देहरादून
- (iii) जिला वन प्रभाग देहरादून का प्रभाग
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र नहीं
- 17- पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति नहीं
- 18- उपवर्जन के लिए प्रस्तावित वनभूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा - नहीं
- (i) वन का प्रकार आवृक्षित 0.6744 ई
- (ii) वनस्पति का औषतपूर्ण घनत्व 0.4
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराये जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना - नहीं
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा
- 19- भूक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी- नहीं
- 20- वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी- 0.01 किमी
- 21- वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्त्व- नहीं

- (i) पूर्वक्षेण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विधमान वन्य जीव का ब्यौरा - नई
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्य उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किये जाने में मुख्य वन्यजीव वार्डन की ओर टिका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाये)। नई
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से 10 कि०मी० के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टिका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाये)। नई
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से 1 कि०मी० के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टिका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाये)। नई
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं यदि हों तो उसके ब्यौरे। नई

22- क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण सस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किये जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) के साथ उसका ब्यौरा दें)। नई

23- पूर्वक्षेण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्ता के बारे में टिका-टिप्पणियां दें। नई

- (i) क्या भाग-1 के पैरा 6 पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथा प्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। नई

- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किये गये क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24— किये गये अतिक्रमण के ब्यौरे :-

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) **नहीं**
- (ii) यदि हाँ की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्लिप्त वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते, पदनाम सहित। अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही। **नहीं**
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं): **नहीं**

25— क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :-

- (i) क्षतिपूरक वन रोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गयी वन भूमि की विधिक प्रास्थिति **लिखित रूप से**
- (ii) आस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेन्ट या खसरा सं० क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किये गये गैर वन क्षेत्र या अवन्त वन जैसे ब्यौरे दे। **नहीं**
- (iii) क्षतिपूरक वन रोपण क्षेत्र के लिए पहचान किये गये गैर वनीकरण या अवन्त वन दर्शित करने वाली वन-1,50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और समीप्य वन सीमाये संलग्न है। **नहीं**
- (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन अभिकरण, समयसूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हाँ/नहीं): **नहीं**
- (v) क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय **1,20,000/-**

